न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 412/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/440)

चतरू पुत्र झूला जाति मीना निवासी घाटा नैनवाडी उप तहसील मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर स0मा0 मु0नं0 150/16 चतरू बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.05.2018 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री हरिमोहन जाट वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 07.05.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार मित्रपुरा ने आदेश दिनांक 16.03.2016 से अपीलान्ट को सम्वत 2072 में आराजी खसरा नम्बर 01 के रकबा 0.75 है0 गै0मु0 नदी वाकै ग्राम घाटा नैनवाडी तहसील बौली पर सरसों की फसल काश्त करने का अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा पाश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी अपील तहत अदालत जिला कलक्टर स0मा0 के समक्ष की गई। जिला कलक्टर स0मा0 द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा नायब तहसीलदार मित्रपुरा का निर्णय यथावत रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 विधिविरूद्ध व रिकार्ड के विपरीत होने

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के कारण निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार मित्रपुरा ने निर्णय दिनांक 16.03.2016 के द्वारा अपीलान्ट को ग्राम घाटा नैनवाडी उप तहसील मित्रपुरा के खसरा नम्बर 01 रकबा 0.75 है0 किस्म गै0मु0 नदी पर अतिक्रमण मानते हुये अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है। उपरोक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, वरन् अपीलान्ट स्वयं के बुजुर्गों की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीदार द्वारा किसी प्रकार की कोई मौके की जॉच नहीं की गई, वरन् पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अलावा सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना किये बिना विद्वेषपूर्ण आशय से उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि नायब तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से पारित निर्णय के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई थी, परन्तु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलान्ट की ओर से अपील में वर्णित तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल मात्र पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत झूठी रिपोर्ट को सही मानते हुये अपीलान्ट की अपील को खारिज किया है, जो कि मौके व रिकार्ड के विपरीत होने के साथ–साथ प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। विवादित भूमि पर न तो अपीलान्ट द्वारा पूर्व में ही काश्त की गई थी और न ही वर्तमान में कोई काश्त है तथा भविष्य में ही किसी प्रकार का कब्जा अपीलान्ट की ओर से नहीं किया जाएगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध विवादित खसरा नंबर 1 के 0.75 है0 रकबा किस्म गैर मुमकिन नदी में सरसों की फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें पश्चातवर्ती अतिचार होने का भी उल्लेख किया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत नायब तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 16.03.2016 को उनके न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की अपीलान्ट पर असालतन तामील होने के बाबजूद भी अपीलान्ट के अदालत मातहत में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये पटवारी हल्का के बयान लेने के बाद

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2016 को पारित किया गया है।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 को पारित किया है। उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर ने यह माना है कि नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया है। विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने के संबंध में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा तहसीलदार बौंली से पुनः मौका रिपोर्ट मंगाई गई। तहसीलदार बौंली के पत्र क्रमांक 3194 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.2018 के संलग्न कर भिजवाई गई है। जिसमें पटवारी हल्का ने उल्लेख किया है कि राजस्व ग्राम घाटा नैनवाड़ी में खसरा नंबर 1 रकबा 28.01 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में चतरू पुत्र झूला मीना के द्वारा अतिक्रमित रकबे का मौका देखने उपस्थित आया। वहमराय ग्राम प्रतिहारी श्री अम्बालाल मीना व अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौका देखा गया। मौके पर आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 28.01 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में चतरू पुत्र झूला जाति मीना निवासी घाट नैनवाड़ी द्वारा 1 है0 पर गेहूं की फसल व 0.25 है0 पर जों की फसल बोई हुई है। अतिक्रमी चतरू पुत्र झूला मीना द्वारा खसरा नंबर 1 रकबा 28.01 में से 1.25 है0 भूमि पर अतिक्रमण गेहूं और जों की फसल बोकर कर रखा है। फर्द मौका रिपोर्ट पर पटवारी के साथ–साथ अन्य ग्रामवासियान के हस्ताक्षर भी करवाये हुये हैं। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 में तहसीलदार बौंली के माध्यम से प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये यह माना है कि सम्वत् 2074 में उक्त विवादित खसरा नंबर पर अपीलान्ट की ओर से गेहूं एवं जों की फसल काश्त की गई है अर्थात् वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत रहा है। जबकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने का उल्लेख किया गया था। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 के द्वारा खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व जिला कलक्टर ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अलावा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का रिपोर्ट किये जाने के वर्ष में व पूर्व के वर्ष में अतिक्रमण होने के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है व इसके बाद में भी अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसलिए नायब तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर